

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 जून 2020 — ज्येष्ठ 16, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020

आदेश

क्रमांक 4270/1132/21-ब/छ.ग./2020. — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, कोरबा (छ.ग.) के लिये श्रीमती मंजूला श्रीवास्तव, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नियुक्त करता है।

उन्हे शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा।

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या -64-2014-न्याय प्रशासन, 103-विशेष न्यायालय, 0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008- शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी.सोहगौरा, अवर सचिव.